



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022020-215935
CG-DL-E-05022020-215935

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]
No. 530]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2020/माघ 16, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020/MAGHA 16, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2020

का.आ. 568(अ).—अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 (1993 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 7 जनवरी, 1993 को प्रवृत्त हुआ था और उक्त अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र का कब्जा सुनिश्चित करने और उक्त अधिनियम के निबंधनानुसार उसके प्रबंधन के लिए 8 जनवरी, 1993 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या प्रभाग के प्रभाग आयुक्त (तत्कालीन फैजाबाद प्रभाग) को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 9 नवंबर, 2019 के अपने निर्णय में यह निर्देश दिया है कि केंद्रीय सरकार निर्णय की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के अधीन उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में एक स्कीम बनाएगी।

और, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 9 नवंबर, 2019 के निर्णय के निर्देशों की अनुपालना में भारत सरकार ने उक्त स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) का आदेश सं. 71011/02/2019-एवाई तारीख 5 फरवरी, 2020 द्वारा अनुमोदन कर दिया है और उक्त स्कीम में, न्यास के कार्य की बाबत, जिसके अंतर्गत मंदिर के संनिर्माण और उससे संबंधित सभी आवश्यक, आनुषंगिक और अनुपूरक विषयों सहित न्यास का प्रबंधन, न्यासियों की शक्तियों से संबंधित विषय भी हैं, आवश्यक उपबंध किए गए हैं।

और, उक्त स्कीम के अनुसार, “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र” (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त न्यास कहा गया है) के नाम से न्यास को आर-20, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली - 110048 स्थित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

और, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में विवादित स्थल के आंतरिक और बाह्य प्रांगण का कब्जा उक्त न्यास को सौंपा जाएगा और केंद्रीय सरकार, अर्जित भूमि के शेष भाग के संबंध में प्रबंधन और विकास के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित स्कीम के निबंधनानुसार उक्त न्यास को सौंप कर उपयुक्त उपबंध करने के लिए स्वतंत्र है।

और, सांप्रदायिक उपद्रवों के विगत इतिहास और लोक व्यवस्था से संबंधित सभी संभावित परिदृश्यों, विधि और व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सदभाव और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए; और उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि का वर्ष भर भ्रमण करने वाले तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या पर विचार करते हुए और उन आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो ऐसे तीर्थ यात्रियों की, जो भविष्य में विश्व भर से मंदिर का भ्रमण करेंगे, बढी हुई संख्या के लिए दी जानी अपेक्षित होंगी, केंद्रीय सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि से बाहर, अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर, केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ उपयुक्त भूमि के आवंटन को प्रभावी करने का विनिश्चय किया है।

और, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ भूमि का आवंटन पत्र जीओ सं. 61 जीआई/6-सनीप्रा-2020-200(14)/2019 टीसी, तारीख 5 फरवरी, 2020 द्वारा जारी किया गया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2010 की सिविल अपील संख्या 10866-10867 के मामले तथा अन्य संबंधित अपीलों में 9 नवंबर, 2019 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में केंद्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि न्यास अर्थात् 5 फरवरी, 2020 को स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने का इच्छुक है, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अधीन अर्जित संपूर्ण भूमि के संबंध में सभी अधिकार, हक और हित, जिसके अंतर्गत विवादित स्थल का आंतरिक और बाहरी प्रांगण भी है, राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की तारीख से उक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में निहित होंगे।

[सं.71011/02/2019-एवाई]

अजय भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2020

S.O.568(E).—WHEREAS the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993 (33 of 1993) (hereinafter referred to as the said Act) came into force on the 7th January, 1993 and the Divisional Commissioner of Ayodhya Division of the State of Uttar Pradesh (erstwhile *Faizabad Division*) was appointed as the authorised person under sub-section (1) of section 7 read with sub-section (1) of section 5 of the said Act on 8th January, 1993 for securing possession of the area specified in the Schedule to the said Act and management thereof in terms of the said Act.

AND WHEREAS the Hon'ble Supreme Court, dated 9th November, 2019 in its Judgement, has directed that the Central Government shall, within a period of three months from the date of the Judgement, formulate a scheme pursuant to the powers vested in it under sections 6 and 7 of the said Act.

AND WHEREAS in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, dated 9th November, 2019, the Government of India has approved the Scheme, *vide*, Order No. 71011/02/2019-AY dated 5th February, 2020 (hereinafter referred to as the said Scheme) and the said Scheme has made necessary provisions in regard to functioning of the trust including matters relating to management of the trust, powers of the trustees including construction of the temple and all necessary, incidental and supplemental matters thereto.

AND WHEREAS in accordance with the said Scheme, a Trust by the name “Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra” (hereinafter referred to as the said Trust) has been registered with its registered office at R-20, Greater Kailash Part -1, New Delhi, 110048.

AND WHEREAS in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, possession of the inner and outer courtyards of the disputed site shall be handed over to the said Trust and the Central Government is at liberty to make suitable provisions in respect to the rest of the acquired land by handing it over to the said Trust for management and development in terms of the Scheme framed by the Central Government.

AND WHEREAS taking into account past history of the communal disturbances and possible scenarios relating to public order, law and order and concerns relating to communal harmony and security and considering the large number of pilgrims visiting the land acquired under the said Act throughout the year and keeping in mind the essential amenities that would require to be provided for the increase in number of pilgrims who will be visiting the temple from all across the world in future, the Central Government, after consultation with the State Government of Uttar Pradesh, decides to effectuate the allotment of a suitable land admeasuring five acres to Sunni Central Waqf Board at a prominent place in Ayodhya, outside the land acquired under the said Act.

AND WHEREAS the allotment letter of five acres of land in Ayodhya to the Sunni Central Waqf Board has been issued by the State Government of Uttar Pradesh, *vide*, GO No. 61 GI/6-Sanipra-2020-200(14)/2019 TC, dated 5th February, 2020.

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993 and in compliance with the judgement of the Hon'ble Supreme Court, dated 9th November, 2019 in the matter of Civil Appeal Nos. 10866-10867 of 2010 and other connected appeals, the Central Government, being satisfied that the Trust, namely Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra set up on 5th February, 2020 is willing to comply with such terms and conditions specified in the said Scheme, directs that all rights, title and interests in relation to the entire area acquired under the Schedule to the said Act, including the inner and outer courtyard of the disputed site shall vest in the said Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra from the date this notification is published in the Official Gazette.

[No.71011/02/2019-AY]

AJAY BHALLA, Home Secy.